कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना/स्थाना./2021 दिनांक 02.02.2021 द्वारा श्रीमती नीना व्यास, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, दईकड़ा जिला जोधपुर का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बिजारिया, जिला जोधपुर किया गया था जिसके विरूद्ध श्रीमती नीना व्यास द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में याचिका संख्या 2557/2021 नीना व्यास बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

याचिका संख्या 2557/2021 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 11.02.2021 द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 02.02.2021 का प्रभाव एवं क्रियान्वयन याचिकार्थी श्रीमती नीना व्यास के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय के आगामी आदेश तक स्थगित किया गया है।

अतः याचिकार्थी श्रीमती नीना व्यास माननीय न्यायालय के आगामी/अन्तिम निर्णयाधीन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, दईकड़ा जिला जोधपुर में प्रधानाचार्य के पद पर पदस्थापित रहेंगी एवं स्थगन से प्रभावित प्रधानाचार्य श्रीमती बरखा सिंघाड़िया, को आदेशों की प्रतिक्षा में किया जाकर मुख्यालय कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर किया जाता है। श्रीमती सिंघाड़िया को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल कार्यालय हाजा में अपनी उपस्थिति देना सुनिश्चित करें।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/नीना/याचिका/2557/21 **दिनांकः** 15.02.2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जोधपुर संभाग, जोधपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जोधपुर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, जोधपुर।
6. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जोधपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. सम्बन्धित प्रधानाचार्यो को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)